

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी, चैनपुर (गुमला)।  
(सामान्य न्यायालय)

१८/१०२४

वाद सं— एम— 52/2024-25

वाद का प्रकार— धारा— 126 भाना०सु०सं०

झारखण्ड सरकार (द्वारा थाना प्रभारी, चैनपुर थाना) —बनाम— जबीर खान वगै०

### आदेश

पुलिस निरीक्षक, चैनपुर अंचल के अप्राथमिक सं— 88/2024 एवं चैनपुर थाना अप्राथमिकी काण्ड सं— 11/2024 दिनांक— 23.10.2024 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में धारा— 126 भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता के तहत इस वाद की कार्रवाई प्रारम्भ करते हुए द्वितीय पक्ष 1. जबीर खान, पे०— ताजउद्दीन खान 2. अवधेश बड़ाईक, पे०— राजनाथ बड़ाईक 3. अजीज मियाँ, पे०— स्व० कबीर मियाँ 4. विरेन्द्र बड़ाईक, पे०— स्व० दमरा बड़ाईक, 5. कमाल खान, पे० कमरुद्दीन खान, 6. इम्तियाज खान, पे०— महत खान, 7. अयूब खान, पे०— स्व० खेई खान 8. समशाद खान, पे०— सफिक ठाकुर 9. अजबुल मियाँ, पे०— सुलतान मियाँ सभी सा०— बरवेनगर 10. रामजन टाना भगत, पे०— सुखनाथ टाना भगत, सा०— बेन्दोरा 11. सुरेन्द्र चीक बड़ाईक, पे०— पुरण चीक बड़ाईक, सा०— बेन्दोरा 12. सौरभ गुप्ता, पे०— राजु गुप्ता, सा०— प्रेमनगर 13. अमित एक्का, पे०— तिलसोफर एक्का, सा०— आंवराटोली सभी थाना— चैनपुर, जिला— गुमला को विधान सभा निर्वाचन, 2024 में शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना को लेकर नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में संबंधित पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए तथा इनके द्वारा निर्धारित राशि का बंध पत्र समर्पित किया गया है। अंकनीय है कि विधान सभा निर्वाचन, 2024 का परिणाम दिनांक— 23.11.2024 को घोषित हो चुका है। जिसके साथ आदेश आचार संहिता का भी समाप्त हो गया है। थाना प्रभारी, चैनपुर से शांति व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
चैनपुर (गुमला)।

कार्यपालक दण्डाधिकारी,  
चैनपुर (गुमला)।